कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 237/मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक, जुलाई, 20– 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– **जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के पिपरी रेंज अन्तर्गत** मे. कनौरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. रेनुकूट को पम्प हाउस पाइप लाइन एवं ओवर हेड ट्रान्समिशन लाईन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 3.79 हे. आरक्षित वन भूमि को पूर्व में आदित्य बिड़ला केमिकल्स(इण्डिया) लि0 तथा वर्तमान में मे0 ग्रासीम इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट द्वारा गैर वानिकी उपयोग करने हेतु 25 वर्षो (दिनांक–01.04.2013 से 31.03.2038 तक) की लीज नवीनीकरण के संबंध में । ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या– **FP/UP/Others/19811/2016**

संदर्भः– आपका पत्रांक– 43/11–सी– FP/UP/Others/19811/2016 लखनऊ दिनांक– 04.07.2022

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में संदर्भित पत्र दिनांक– 04.07.2022 में अंकित बिन्दुओ से संबंधित सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।उक्त के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्र सं0–147/रेनुकूट/15–37 दिनांक 11.07.2022 **(छाया प्रति संलग्न)** द्वारा संस्तुति सहित निम्न प्रकार प्रेषित किया है :–

क्र0 सं0	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 43/11–सी–FP/UP/Others/19811/2016 लखनऊ दिनांक– 04.07.2022 में अंकित बिन्दु	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रस्ताव में संलग्न हार्डकापी भाग–2 के क्रमांक–6 में उल्लंधन न किये जाने का उल्लेख है , जबकि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत उल्लंधन किया गया है । अतः सही स्थिति का उल्लेख कर सशोधित हार्डकापी भाग–2 प्रस्ताव मे संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें तथा ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक –16 में भी अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव के हार्डकापी भाग–2 में सही स्थिति का उल्लेख करते हुए संशोधित हार्डकापी भाग–2 प्रस्ताव में संलग्न कराते हुए ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करा दिया गया है ।
2	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–12 में उल्लंधन का विवरण फीड नही है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–12 में उल्लंधन का विवरण फीड करा दिया गया है ।
3	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक –13 में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूर्व मे दी गयी समतुल्य गैर वन भूमि का विवरण ,Geo Referenced Digital Map & Sol Toposheet भी अपलोड किया गया है । अतः इसे डिलिट कर वर्तमान में प्रस्तावित CA से संबंधित विवरण Geo Referenced Digital Map	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13 में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पूर्व में दी गयी समतुल्य गैर वन भूमि के विवरण को डिलिट कराते हुए प्रस्ताव में सी0ए0 हेतु प्रस्तावित क्षेत्र से संबंधित Geo Referenced Digital Map & Sol Toposheet &

–2–

<table>
<tr><td></td><td>& Sol Toposheet & Kml file अपलोड करे ।</td><td>Kml file को अपलोड करा दिया गया है ।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना भारत सरकार के पत्र दिनांक– 29.01.2018 के पैरा–सी में दिये गये प्राविधानो के अनुसार संलग्न कर प्रेषित किया गया है, जब कि विषयगत प्रकरण में लीज अवधि दिनांक– 31.03.2013 को समाप्त हो चुकी है । इसके उपरान्त भी प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग किया जा रहा है । अतः इस संबंध में भारत सरकार के पत्र दिनांक– 29.01.2018 के पैरा–बी में दिये गये प्राविधानो का भी परीक्षण कर बिन्दुवार अपनी स्पष्ट आख्या अभिलेखो सहित प्रस्ताव में संलग्न करे तथा तदानुसार संशोधित दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करे ।</td><td>इस बिन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक– 29.01.2018 के पैरा–B एवं C मे अंकित विवरण एवं उसका हिन्दी रूपान्तरण निम्नानुसार है :–
<table>
<tr><td>(B)</td><td>In cases where the proposal under FC Act is under consideration and forest land is diverted before grant of FC</td><td>उन मामलों में जहां एफसी अधिनियम के तहत प्रस्ताव विचाराधीन है और वन भूमि को एफसी के अनुदान से पहले बदल दिया गया है</td></tr>
<tr><td>(C)</td><td>Violation/non – compliance of any conditions imposed while granting approval under FC Act .</td><td>एफसी अधिनियम के तहत अनुमोदन प्रदान करते समय लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन -गैर / अनुपालन।</td></tr>
</table>
2– यहॉ यह उल्लेख करना है कि प्रश्नगत प्रकरण से आच्छादित 3.79 है0 वन भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होने के पूर्व उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या– 1252/14–बी–503/61 दिनां– 25.04.1964 द्वारा मे0 कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 को लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी ।
3– उक्त हस्तान्तरित लीज की अवधि समाप्त होने के उपरान्त आगे की अवधि हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या– 08बी/09/324/92/एफ0सी0–सी0–407 दिनांक– 23.05.1995 द्वारा 5(पॉच) शर्तो के अधीन तथा उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या– जी0आई0–159/14–2–95–503/1961 दिनांक– 16 जनवरी 1996 द्वारा 9(नौ) शर्तो के अधीन नवीनीकरण आदेश जारी किया गया है ।
4– प्रश्नगत प्रकरण में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिरोपित किसी भी शर्तो का कोई उल्लंघन नही किया गया है । उ0प्र0 शासन के आदेश दिनांक– 16.01.1996 में अधिरोपित शर्त संख्या–1 का आंशिक उल्लंघन किया गया है जिस हेतु भारत सरकार के उक्त आदेश दिनांक– 29.01.2018 के बिन्दु संख्या–सी के अनुपालन में एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि का दोगुने धनराशि जमा कराये जाने हेतु वांछित आंकलन प्रमाण पत्र एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है । प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार के आदेश दिनांक– 29.01.2018 के बिन्दु संख्या– बी का प्राविधान आकर्षित नही होता है ।</td></tr>
</table>

K

5	प्रस्ताव के साथ संलग्न पेन ड्राइव में पूर्ण प्रस्ताव की सभी अभिलेखो की अलग–अलग पी0डी0एफ0 फाइल अपलोड की गयी है जो कि त्रुटिपूर्ण है । अतः उपरोक्त इंगित कमियो का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव की एक साथ पूर्ण प्रस्ताव की पी0डी0एफ0 फाइल एवं प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की के0एम0एल0 फाइल पेन ड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि सशोधित पेन ड्राइव प्रस्ताव के साथ संलग्न करा दिया गया है ।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतद्सह संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– 237 /अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को उनके कार्यालय पत्रांक–147/रेनुकूट/15–37 दिनांक 11.07.2022 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा) 20/07
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर